



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092025-265896
CG-DL-E-02092025-265896

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3909]
No. 3909]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2025/भाद्र 11, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2025/BHADRA 11, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2025

का.आ. 4014(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3790 तारीख 03/09/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में NH66 के कि.मी. 411.845 से कि.मी. 438.6 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरण / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख मलयाला मनोरमा और द हिंदू दोनों दिनांक 20.09.2024 प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में NH66 के कि.मी. 411.845 से कि.मी. 438.6 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: केरल			जिले का नाम: एर्नाकुलम		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कनयन्नूर					
गांव का नाम: एडाप्पल्ली नार्थ					
1	235/17	सरकारी	पुरमबोके	0.0011	पुरमबोके 235/17/30
2	235/17-2	निजी	ड्राय	0.001	कंपनी सेक्रेटरी, कोची मेट्रो रेल लिमिटेड, 8टीहेच् फ्लोर, रेवेन्यू टॉवर पार्क एवेन्यू , एर्नाकुलम एंड ओथर्स 235/17-2/29
3	235/17-2	निजी	ड्राय	0.0071	कंपनी सेक्रेटरी, कोची मेट्रो रेल लिमिटेड, 8टीहेच् फ्लोर, रेवेन्यू टॉवर पार्क एवेन्यू , एर्नाकुलम एंड ओथर्स 235/17-2/31
Total				0.0092	

[फा. सं. NHAI/PIU/COCHIN/NH-66(old NH_17)/323/3(a)2022/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2025

S.O. 4014(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **3790 Dated:03/09/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH66 in the stretch of land from Km. 411.845 to Km. 438.6 in the district of ERNAKULAM in the state of KERALA ;

And whereas the substance of the said notification has been published in Malayala Manorama and The Hindu dated 20.09.2024 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH66 in the stretch of land from Km. 411.845 to Km. 438.6 in the district of ERNAKULAM in the state of KERALA

State: KERALA			District: ERNAKULAM		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kanayannur					
Village: Edappally North					
1	235/17	Government	Puramboke	0.0011	Puramboke 235/17/30
2	235/17-2	Private	Dry	0.001	Company Secretary, Kochi Metro Rail Limited, 8th floor, Revenue Tower Park Avenue , Ernakulam and others 235/17-2/29
3	235/17-2	Private	Dry	0.0071	Company Secretary, Kochi Metro Rail Limited, 8th floor, Revenue Tower Park Avenue , Ernakulam and others 235/17-2/31
Total				0.0092	

[F. No. NHAI/PIU/COCHIN/NH-66(old NH_17)/323/3(a)2022/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director